

न्यायालय स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश, न्याया०सं०-२, झाँसी।
जी.एस.टी. नं०-५५/२०१७

सरकार

बनाम

बंशी शर्मा आदि।

धारा-२(बी)(ii)/3 गैंगस्टर एक्ट

थाना-समथर, जिला झाँसी।

मु०अ०सं०-६२२/२०१६

दि०-०७.०६.२०१८

प्रार्थी /अभियुक्त बन्टी शर्मा जरिये अधिवक्ता अभय कुमार सेंगर की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दि०-३१.०५.२०१८ को उनकी जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में जमानत की धनराशि निर्धारित की जाये।

अतः प्रार्थी अभियुक्त बन्टी शर्मा को क्रि० मि० जमानत प्रार्थनापत्र २०६५९/२०१८ मुकदमा अपराध संख्या ६२२/२०१६ अन्तर्गत धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट थाना समथर, झाँसी जिला झाँसी में पारित आदेश दिनांक ३१.०५.२०१८ के अनुपालन में एक - एक लाख रुपये की दो जमानतें व इसी धनराशि का स्वबन्धपत्र दाखिल करने पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार मलिक)

विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि०/

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं-२

झाँसी